भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *105
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सहायता

***105. श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
श्री जी. सेल्वम:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निर्मित, उन्नत अथवा कार्यशील बनाई गई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उक्त मिशन के अंतर्गत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और गैर-संचारी रोग प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख पहलें की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु की जनसंख्या और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उसके लिए संसाधन प्रदायगी/आवंटन में वृद्धि किए जाने का है; और

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संबंधी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, उनकी प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.105 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): जी, हाँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

तमिलनाडु सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ करने जिसमें निर्माण, उन्नयन या कार्यशील बनाना शामिल है, के लिए दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) कहा जाता था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का उन्नयन करके स्थापित किए गए हैं ताकि मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी 12 पैकेज की सेवा दी जा सके। इन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमसीएचए+एन) सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) (उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा संबंधी 3 सामान्य कैंसर जैसे एनसीडी की जांच और प्रबंधन) शामिल हैं और क्रमिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, मुख स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और उपशामक स्वास्थ्य परिचर्या और अभिघात परिचर्या आदि के लिए अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा रही हैं।

इसके अलावा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), डायरिया रोको अभियान, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम, यूडब्ल्यूआईएन, मिशन इंद्रधनुष आदि भी शामिल हैं।

विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान (टीबीएमबीए), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

(एनएलईपी), राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) आदि जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इसके अलावा, विभिन्न गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) में कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), टेली मानस आदि कार्यक्रम संचालित हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़, बहुस्तरीय ढांचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से नियमित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन शामिल है। इसके अलावा, वार्षिक साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों संबंधी प्रगति का स्वतंत्र, जमीनी आकलन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, सुधार और राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।
